न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117/2024 दायर दिनांकः 30.10.2024

उनवान

1— कैलाशचंद आत्मज बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

2— धापूबाई पत्नी बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

वादीगण

बनाम

1— बालाराम आत्मज बगदीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

2— प्रहलाद आत्मज बगदीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

3— गंगाराम आत्मज कन्हीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

4— बालचन्द आत्मज चन्दर जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

5— गोपाल आत्मज चन्दर जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

6— रामप्रताप आत्मज रूपा जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

7— पीरूलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

8— मोहनलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

9— मदनलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

10— अवन्तीबाई पुत्री बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

11— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

अभिभाषक वादीगण :— श्री अशोक पाटीदार
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4 व 6 — श्री कालूराम मेघवाल
प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 व 7 से 10 :— एकतरफा
प्रतिवादी सं. 11 — पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 18.05.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम उन्हेल तहसील पिडावा की खाता संख्या 254 नया 199 पुराना में खसरा नं. 1089 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1090 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1091 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1165 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1207 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1217 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1218 रकबा 15 बिस्वा कुल 7 किता कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 10 अवन्तीबाई के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 पेश है। यह कि पेरा नं. 1 में दर्ज आराजी में से खसरा नं. 1090 रकबा 4 बिस्वा को छोडकर शेष सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में यह वाद पेश किया जा रहा है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से इस आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से वाद पत्र में सम्बोधित किया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा कर उस पर अभी भी कब्जा बनाये हुए हैं। वादीगण जुलाई माह में बारिश होने पर अपनी कृषि भूमि पर बुवाई करने गये तो प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 ने झगडा किया और कहा कि खेत पर आओगे तो तुम्हें जान से खत्म कर देगें लेकिन कब्जा नहीं छोडेगें। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है एवं इनकी हैसियत अतिक्रमी की है जिन्हें बेदखल कराने का पूर्ण अधिकार वादीगण को है। यह कि वादीगण वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

दिलवाये जाने तक अन्तकालीन लाभ प्राप्त करने के भी पात्र है। यह कि प्रतिवादी नं. 10 सहखातेदार होने एवं प्रतिवादी नं. 11 राज्य सरकार लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये हैं। यह कि वाद कारण जुलाई 2018 में बारिश होने के बाद वादीगण वादग्रस्त आराजी पर बुवाई करने गये तो उनको प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 ने बुवाई नहीं करने दी व कब्जा छोड़ने से इन्कार करने व लढाई झगडा करने पर आमादा होने पर उत्पन्न होकर दावा करना आवश्यक हुआ। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम उन्हेल तहसील पिडावा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि वादीगण का वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। यह कि वादीगण प्रार्थना करते है कि –

अ– यह कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 प्रदान की जाकर खाता संख्या 254 नया 199 पुराना में खसरा नं. 1089 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1091 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1165 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1207 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1217 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1218 रकबा 15 बिस्वा कुल 6 किता कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम उन्हेल तहसील पिडावा से प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को बेदखल किया जाकर कब्जा वाकई वादीगण को दिलवाया जावे।

ब– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 से दिलावाया जावें।

स– अन्य न्यायोचित राहत जो माननीय न्यायालय वादीगण के पक्ष में उचित समझे वह भी प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री कालूराम मेघवाल उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 व 7 से 10 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 26.02.2018, दिनांक 28.10.2020 प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 व 7 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल के खाता सं. 254 की जमाबंदी सं. 2070–73 प्रदर्श 1, खाता सं. 71 की जमाबंदी सं. 2074–77 प्रदर्श 2, कैलाशचन्द के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में कैलाशचन्द पि. बीरम, भगवानलाल पि. लक्ष्मीनाराया PW-1 to 2 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषकगण उभयपक्ष व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 71 का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि का वादी सं. 1 खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकारी के अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जब वादी सं. 1 ने प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने के लिये कहा तो मना कर दिया और लडाई झगडे पर आमादा हुआ। अतः प्रतिवादीगण अतिकमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण का बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहना एवं जवाब पेश नहीं करना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिकमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी सं. 1 को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 11 को वादग्रस्त आराजी का वादी सं. 1 को कब्जा सौपने के लिए निर्देशित किया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादीगण का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 71 प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

सं. 1 तन्हा रिकार्डेड खातेदार कृषक है। ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1165 की भूमि पर बिना किसी विधिक अधिकार के कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद पर्याप्त अवसर देने एवं बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 से 10 का वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी होना जाहिर होता है।

7. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-2 भगवानलाल पि. लक्ष्मीनारायण द्वारा सशपथ बयानो में कथन किया गया है कि वादीगण की ग्राम उन्हेल की वादग्रस्त आराजी रकबा 18 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण पीरूलाल, मोहनलाल, मदनलाल पिस. भग्गालाल मेघवाल नि. कादरनगर ने कब्जा कर रखा है। वादी PW-1 कैलाचन्द पि. बीरम ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया एवं ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1165 रकबा 0.2276 है. भूमि पर प्रतिवादीगण पीरूलाल, मोहनलाल, मदनलाल पिस. भग्गालाल मेघवाल नि. कादरनगर का अवैधानिक कब्जा होना बताकर कब्जा वादीगण को दिलवाने का कथन किया।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम उन्हेल जमांदी सं. 2074–77 के खाता सं. 71 प्रदर्श 2 के अनुसार ख.नं. 1165 रकबा 0.2276 है. भूमि का वादी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार कृषक है और प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी गण वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 1 की भूमि पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादी के अनुसार वाद का कारण हेतुक जुलाई 2018 को उत्पन्न हुआ है अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा जुलाई 2018 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है। यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

14

<u>**183. Ejectment of certain trespasser—**</u> (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी सं. 1 वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। **प्रतिवादीगण के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादी को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है।** प्रतिवादीगण को वादी के खाते व कब्जे की आराजी में जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर **पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी।** प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं जवाब पेश नहीं करने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाना उचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर के संबंध में वादीगण का वाद धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

15

-:क्रियात्मक आदेश:-

11. परिणामतः ग्राम उन्हैल तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी सं. 1 की ग्राम उन्हैल तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी सं. 1 को 15 दिवस में कब्जा सौंपा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0.

Scanned with OKEN Scanner

16

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117/2024 | दायर दिनांकः 30.10.2024

उनवान

1— कैलाशचंद आत्मज बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

2— धापूबाई पत्नी बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

वादीगण

बनाम

1— बालाराम आत्मज बगदीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

2— प्रहलाद आत्मज बगदीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

3— गंगाराम आत्मज कन्हीराम जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

4— बालचन्द आत्मज चन्दर जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

5— गोपाल आत्मज चन्दर जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

6— रामप्रताप आत्मज रूपा जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

7— पीरूलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

8— मोहनलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

9— मदनलाल आत्मज भग्गालाल जाति मेघवाल नि. कादरनगर हाल नि. भवानीमण्डी

10— अवन्तीबाई पुत्री बीरम जाति मेघवाल नि. उन्हेल तहसील सुनेल

11— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

अभिभाषक वादीगण :— श्री अशोक पाटीदार

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4 व 6 — श्री कालूराम मेघवाल

प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 व 7 से 10 :— एकतरफा

प्रतिवादी सं. 11 — पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रुबरू..............X..........................मिनजानिब मुदई रुबरू ....X...................................

ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी सं. 1 की ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.2276 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी सं. 1 को 15 दिवस में कब्जा सौपा जावे।

18/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निज ....X............... मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X..........अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner